न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 10/2012

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. भंवरीया पुत्र मोहन
   जाति-भंगी (हरीजन)
   निवासी-पाटवा, तहसील जैतारण
   जिला-पाली (राजस्थान)

1. भागुराम पुत्र हरजीराम गुर्जर
2. पांचीदेवी पत्नी भींयाराम गुर्जर
3. सुखाराम पुत्र खींयाराम गुर्जर
4. गंगादेवी पुत्री भींयाराम गुर्जर
5. सुमनदेवी पुत्री भींयाराम गुर्जर
6. महेन्द्र पुत्र लच्छाराम सिरवी,
7. मनोहर पुत्र लच्छाराम सिरवी
8. राजूराम पुत्र लच्छाराम सिरवी
9. गणकी बेवा लच्छाराम सिरवी
10. जीवणराम पुत्र लादुराम गुर्जर

फौत के कायम मुकाम :-

10/1 मल्लाराम पुत्र जीवणराम गुर्जर
10/2 घेवरी पत्नी जीवणराम गुर्जर

11. बुद्धाराम पुत्र लादूराम गुर्जर
12. चेनाराम पुत्र लादूराम गुर्जर
13. बक्साराम पुत्र लादुराम गुर्जर
14. हीरादेवी पुत्र लादुराम गुर्जर
15. जेतादेवी पुत्री लादुराम गुर्जर
16. गेन्दादेवी पुत्री लादूराम गुर्जर
17. देवा पुत्र प्रभूराम जी मेघवाल
18. विशनाराम पुत्र रामाराम सिरवी
19. हापूराम पुत्र रामाराम सिरवी
20. रुपाराम पुत्र रामाराम सिरवी
21. रिमज पुत्र दाउदखां लवार मुसलमान
22. गनीखां पुत्र उजीरखां लवार मुसलमान
23. सदीकखां पुत्र उजीरखां लवार मुसलमान
24. सुशीला पुत्री उजीरखां लवार मुसलमान
25. सकीनाबानो पत्नी चांदूखां लवार मुसलमान
26. बिसूडी बानो पुत्री चांदखां लवार मुसलमान
27. समुडी बानो पुत्री चांदखां लवार मुसलमान
28. मदीना पुत्री चांद खां लवार मुसलमान
29. अलाखां पुत्र दाउदखां लवार मुसलमान
30. कालूखां पुत्र दाउदखां लवार मुसलमान
31. भंवरी बेवा शकूर मोहम्मद लवार मुसलमान
32. छोटूखां पुत्र शकूर मोहम्मद लवार मुसलमान
33. सिकन्दर पुत्र शकूरखां लवार मुसलमान
34. भवरुखां पुत्र उजीरबक्श तेली मुसलमान
35. बाबूखां पुत्र उजीर बक्श तेली मुसलमान

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

36 जवरुदीन पुत्र उजीरखां तेली मुसलमान
37 नूर मोहम्मद पुत्र उजीरबक्श तेली मुसलमान
38 मिश्रूखां पुत्र नबी बक्श तेली मुसलमान
39 मोहम्मदखां पुत्र अलारखखां तेली मुसलमान
40 भीखु पुत्र अलारख खां तेली मुसलमान
41 रवाजू खां पुत्र रिमजूखां तेली मुसलमान
सभी निवासीगण–पाटवा तहसील जैतारण पाली
42 तहसीलदार, जैतारण
त्हसील–जैतारण (जिला–पाली) राज0

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं नक्शा ट्रेश में भूमि खातेदारी की तरमीम कराने बाबत् 128 LRAct.

तारीख रजू: 10/01/2012

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 02/06/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, एवं नक्शा ट्रेश में भूमि खातेदारी की तरमीम कराने बाबत् 128 LRAct. 1956 विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–पाटवा, तहसील–जैतारण में वादी की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 593/1258 जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में 1258/0593 के रुप में दर्ज हैं। उक्त खसरा नम्बर 593/1258 रकबा 6 बीघा 11 बीस्वा किस्म बा0दो0 की आई हुई हैं। जिसका वादी रेकर्ड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नकल जमाबंदी इस भूमि की वाद पत्र के साथ पेश हैं। उक्त भूमि को आगे वादपत्र में विवादित आराजी के नाम से जाना जायेगा। मौजा पाटवा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 0593 के ही अलग अलग खातेदार व अलग अलग हिस्से व भूमि के खातेदार प्रतिवादीगण हैं। जिनकी चालू जमाबन्दीया इस वाद पत्र के साथ पेश हैं। वादी व प्रतिवादीगण को उक्त भूमियां राज्य सरकार द्वारा आंवटित की हुई हैं। वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 593/1258 के पडौसी खातेदार प्रतिवादी संख्या 21 से लगातार 33 तक हैं। उक्त सभी प्रतिवादीगण बदमाश प्रवृति के व्यक्ति हैं। जो अनूसूचित जाति के गरीब वादी की जमीन लाठी लकडी के बल पर हडप कर लेना चाहते हैं। व जमीन को लेकर आये दिन वाद विवाद कर रहें हैं। तथा वादी को उसकी खातेदारी जमीन से बेदखल करना चाह रहें हैं। प्रतिवादीगण 21 से 33 ने दिनांक 10.10.2011 को वादी को बेदखल करने की धमकी दी। अगर प्रतिवादीगण लगातार वादी को जबरदस्ती लाठी लकडी के बल पर वादी को उसकी खातेदारी जमीन से बेदखल करने मे सफल हो गये तो वादी अपने साम्पेतिक भूमि से वंचित रह जायेगा। वादी के पास इस भूमि के अलावा गांव मे अन्य कोई कृषि भुमि नहीं हैं। जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। व वादी को भूखों मरने की नौबत आ जायेगी। वादी प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध बेदखली के कृत्य का विरोध करेगा जिससे विवाद बढेगा। व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स होगी। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश हैं। वादी को उक्त विवादित आराजी राज्य सरकार द्वारा आंवटित हुई हैं। वादी की तरह ही प्रतिवादीगण को आराजी आंवटित हो रखी हैं।इस

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रकार से सभी खातेदारों की आराजी मौके पर अलग अलग बंटी हुई हैं। लेकिन उक्त आराजी में से वादी के हक हिस्से की आराजी अभी तक कही पर तरमीम की हुई नहीं हैं। जिससे वादी के कब्जे काश्त व सीमाओं को लेकर के प्रतिवादी संख्या 21 से 33 आयें दिन वाद विवाद कर रहे हैं। अगर प्रतिवादीगण का भी हिस्सा तरमीम नहीं होने से सीमाओ को लेकर विवाद होता रहता हैं। वादी अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त सुदा भूमि को नक्शा ट्रेश में भी तरमीम करवाने का भी अधिकारी होने से यह वादपत्र मूल वाद पत्र के साथ ही बाबत तरमीम करवाने हेतु भी पेश हैं। प्रतिवादी संख्या 42 भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है जिनके अधिनस्थ राजस्व अधिकारीयों द्वारा आराजी तरमीम की जानी हैं। इसलिये इन्हे वाद पक्षकार बनाया हैं। बिनाय वाद दिनांक 10.10.2011 को प्रतिवादीगण संख्या 21 से 33 द्वारा वादी को उसके खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-पाटवा, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ है। जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार में हैं।

इस प्रकार वादी का वाद माफिक दावा डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-पाटवा में पेश हुई। वादी को शहादत पेश करने हेतु दिनांक 19/12/2013 से समय चाहने पर बार-बार समय दिए जाने के बावजूद भी शहादत पेश नहीं करने से अवसर समाप्त किया जाता हैं एवं शहादत वादी बन्द की जाती हैं। वादी आवंटित भूमि पर काबिज हैं। वस्तुतः वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाना तथा विवादित उक्त भूमि का तहसीलदार, जैतारण से सीमांकन करवाया जाना उचित समझते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से खारिज किया जाना भी उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः आंशिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-पाटवा, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 1258/593 रकबा 6 बीघा 11 बीस्वा किस्म बा0दो0 में विवादित भूमि का तहसीलदार, जैतारण को सीमांकन करवाये जाने हेतु आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। तहसीलदार, जैतारण को आंशिक डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना गंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 02/06/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित शिविर -पाटवा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner